

भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SURVEY OF INDIA

टेलीफोन Telephone : 0172- 2607580
फैक्स Fax : 0172- 2607580
ई-मेल E-mail : hp.gdc soi@gov.in



सं० प्रशा० - /17-वाई(सूचना अधिनियम)

1282

J.T. 2017
हिमाचल प्रदेश
भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र
HIMACHAL PRADESH
GEO-SPATIAL DATA CENTRE
सेक्टर 32-ए, दक्षिण मार्ग
SECTOR 32-A, DAKSHIN MARG
चण्डीगढ़-160 030 (यू.टी.)
CHANDIGARH-160 030 (U.T.)
दिनांक 27-4-2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: पारदर्शी अधिकारी (ट्रांसपेरेंसी ऑफिसर) की नियुक्ति के संबंध में ।

सूचना का अधिकार अधिनियम-05 की धारा 19(8)(ए) के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग को प्रदत्त शक्तियों के आधार पर आयोग ने लोक प्राधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम-05 की धारा के तहत निर्धारित दायित्वों के अंतर्गत प्रत्येक गतिविधि के लिए निर्धारित समय सीमा के अंदर ही पूरा करने का निर्देश दिया है ।

इस अधिनियम के धारा 4 में निर्धारित दायित्वों के कार्यान्वयन के लिए आयोग ने पुनः सभी लोक प्राधिकारियों को किसी एक वरिष्ठ अधिकारी को पारदर्शी अधिकारी नामित करने का निर्देश दिया है । पारदर्शी अधिकारी का मुख्य कार्य का सार है - सूचना का अधिकार अधिनियम-05 की धारा 4 के प्रावधानों के प्रभावी एवं सक्रिय क्रियान्वयन द्वारा लोक प्राधिकारी में संस्थानिक पारदर्शिता को प्रोत्साहित करना । इसमें सम्मिलित है - प्रभावी अभिलेख प्रबंधन, अभिलेखों का अंकीकरण, नेटवर्किंग तथा सक्रिय सर्वोद्दिष्ट प्रकटीकरण ।

तदनुसार मेजर विवेक मलिक, अधीक्षक सर्वेक्षक को हिमाचल प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, चण्डीगढ़ का पारदर्शी अधिकारी (ट्रांसपेरेंसी ऑफिसर) नामित किया जाता है, जिनका ब्यौरा निम्नलिखित है:-


पता :- हिमाचल प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र,
भारतीय सर्वेक्षण विभाग, दक्षिण मार्ग, सैक्टर 32-ए,
चण्डीगढ़ (U.T.)

दूरभाष :- 0172-2607580

फैक्स :- 0172-2607580

ई-मेल :- hp.gdc.soi@gov.in

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।


(प्रशांत कुमार)
निदेशक

हिमाचल प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र

प्रतिलिपि:

1. भारत के महासर्वेक्षक को सूचनार्थ ।
2. अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ ।
3. प्रभारी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग वेबसाइट, महासर्वेक्षक का कार्यालय, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
4. मेजर विवेक मलिक, अधीक्षक सर्वेक्षक को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
5. गार्ड फाईल/नोटिस बोर्ड ।